Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
June 2024 5(6), 1410–1413

DEPICTION OF LEGAL REALITY IN INDIAN JUDICIAL SYSTEM IN HINDI FICTION

हिन्दी कथा साहित्य में भारतीय न्यायतंत्र में कानूनी यथार्थ का निरूपण

Dr. Acharya Om Mishra [1]

[1] Dr. Bhimrao Ambedkar College, Faculty of Arts, Hindi/Journalism Department, University of Delhi, Delhi

DOI
10.29121/shodhkosh.v5.i6.2024.4762

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

ABSTRACT

English: Pawan Chaudhary Manmuji, an excellent writer of Hindi literature on law, is an experimental writer. He has drawn a realistic picture of the image of Indian courts in his works. On hearing the word court, Kachheri, a new form of exploitation appears. The writer has given a heart-touching description of this in his writings- "Court or Kachheri - as soon as this word is seen or heard anywhere, many images appear before the eyes, many men of young and old age wearing black coats, some women, many clients sitting inside the courts, standing in the verandahs, criminals, some policemen wearing khaki uniforms, court peons, Ahlmad, peon etc. Thus, the above-mentioned creatures are seen in the court. Here and there in the court, only the following memorized, heard-of voices are heard- "Many dialogues start to come to the ears- State vs Vinod Kumar; Radhakrishna vs Kantarani; Balwant Rai vs DDA; your name, your father's name; have your witnesses come? Call your lawyer sahab; Sir, this time I could not summon the witnesses, please give me the date, next time I will definitely send the summons etc." Thus, the description of these legal tricks and its shortcomings is heard with sorrow on the tongue of the people everywhere- "Some people are heard making various kinds of comments on law, legal system, politics, society- sweet, salty, bitter, nauseating."1 Hence, sometimes one feels nauseated due to this judicial plight.

Hindi: कानून विषयक हिन्दी साहित्य के उत्कृष्ट रचनाकार पवन चैधरी मनमौजी एक प्रयोगधर्मी लेखक हैं। भारतीय न्यायालयों की छवि का यथार्थ चित्र उन्होंने अपनी रचनाओं में खींचा है। कोर्ट, कचहरी नाम सुनते ही शोषण का नया रूप दिखाई देता है। जिसका हृदयस्पर्शी निरूपण लेखक ने अपने लेखन में किया है-‘‘कोर्ट अथवा कचहरी-कहीं यह एक शब्द दिखायी अथवा सुनायी पड़ते ही, अनायास अनेक चित्र आँखों के सामने प्रगट हो जाते हैं, काला कोट पहने छोटी-बड़ी आयु के अनेक पुरुष, कुछ महिलाएँ, अदालतों के अंदर बैठे, बरामदों में खड़े अनेक मुवक्किल, मुजरिम, खाकी वर्दी धारण किए कुछ पुलिसकर्मी, अदालतों के पेशकार, अहलमद, चपरासी इत्यादि। इस प्रकार कोर्ट में उपरोक्त प्राणी दिखाई दे जाते हैं।’’ कोर्ट के इधर-उधर मात्र रटी-रटाई, सुनी-सुनाई निम्न आवाजें ही सुनाई देती हैं-‘‘कई संवाद कानों में सुनाई देने लगते हैं-राज्य बनाम विनोदकुमार; राधाकृष्ण बनाम कान्तारानी; बलवंत राय बनाम डी.डी.ए.; आपका नाम, आपके पिता का नाम; आपके गवाह आए हैं? आप अपने वकील साहेब को बुलवाइये; हुजूर, इस बार मैं गवाह समन नहीं करवा सका, तारीख दे दीजिए, अगली बार जरूर समन भेज दूँगा आदि।’’ इस प्रकार इन कानूनी दांव-पेंचों, उसकी कमियों का वर्णन लोगों की जुबान पर दुख के साथ यत्र-तत्र-सर्वत्र सुनने को मिल जाता है-‘‘कुछ लोग कानून, कानून प्रणाली, राजनीति, समाज पर विभिन्न प्रकार की टिप्पणियाँ करते सुनायी पड़ते हैं-मीठी, नमकीन, कड़वी, जी मिचलाने वाली।’’1 अतः इस न्यायिक दुर्दशा से कभी-कभी तो जी मिचलाने लगता है।

1. प्रस्तावना

कानून विषयक हिन्दी साहित्य के उत्कृष्ट रचनाकार पवन चैधरी मनमौजी एक प्रयोगधर्मी लेखक हैं। भारतीय न्यायालयों की छवि का यथार्थ चित्र उन्होंने अपनी रचनाओं में खींचा है। कोर्ट, कचहरी नाम सुनते ही शोषण का नया रूप दिखाई देता है। जिसका हृदयस्पर्शी निरूपण लेखक ने अपने लेखन में किया है-‘‘कोर्ट अथवा कचहरी-कहीं यह एक शब्द दिखायी अथवा सुनायी पड़ते ही, अनायास अनेक चित्र आँखों के सामने प्रगट हो जाते हैं, काला कोट पहने छोटी-बड़ी आयु के अनेक पुरुष, कुछ महिलाएँ, अदालतों के अंदर बैठे, बरामदों में खड़े अनेक मुवक्किल, मुजरिम, खाकी वर्दी धारण

किए कुछ पुलिसकर्मी, अदालतों के पेशकार, अहलमद, चपरासी इत्यादि। इस प्रकार कोर्ट में उपरोक्त प्राणी दिखाई दे जाते हैं।'' कोर्ट के इधर-उधर मात्र रटी-रटाई, सुनी-सुनाई निम्न आवाजें ही सुनाई देती हैं-''कई संवाद कानों में सुनाई देने लगते हैं-राज्य बनाम विनोदकुमार; राधाकृष्ण बनाम कान्तारानी; बलवंत राय बनाम डी.डी.ए.; आपका नाम, आपके पिता का नाम; आपके गवाह आए हैं? आप अपने वकील साहेब को बुलवाइये; हुजूर, इस बार मैं गवाह समन नहीं करवा सका, तारीख दे दीजिए, अगली बार जरूर समन भेज दूँगा आदि।'' इस प्रकार इन कानूनी दांव-पेंचों, उसकी कमियों का वर्णन लोगों की जुबान पर दुख के साथ यत्र-तत्र-सर्वत्र सुनने को मिल जाता है-''कुछ लोग कानून, कानून प्रणाली, राजनीति, समाज पर विभिन्न प्रकार की टिप्पणियाँ करते सुनायी पड़ते हैं-मीठी, नमकीन, कड़वी, जी मिचलाने वाली।''1 अतः इस न्यायिक दुर्दशा से कभी-कभी तो जी मिचलाने लगता है।

इस ग्रंथ की कुछ रचनाओं में लेखक ने एक वकील व मुंशी की बातों को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है जैसा कि लेखक ने स्वयं लिखा है-''मैंने भी एक न्याय के धाम पर एक वकील और मुंशी को एकांत में दूरबीन द्वारा बतियाते देखा है, चुपके-चुपके उनकी बातों को 'टेप' किया है। इन्हीं बातों में से कुछ को अगले पन्नों में पेश करने का मैंने प्रयास मात्र किया है।''2

हिन्दी साहित्य की कानून विषयक रचनाओं में इस संकलन की कहानियों, लेखों, निबंधों का कथानक भारतीय न्याय तंत्र में व्याप्त भ्रष्टता पर केन्द्रित है। भारतीय न्यायलयों के प्रशासन तंत्र में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है एक नकल लेने तक में चलवाना देना पड़ता है। कुछ ईमानदार वकील अन्य आज की वकालत कला में पारंगत वकील तथा कुछेक कर्तव्यनिष्ठ वकील कुछेक कर्तव्य निष्ठ जज, कुछेक भ्रष्ट जज, कानून के शिंकजे में फंसे गरीब, कुछ कानून के धाम पर न्याय की प्रतिक्षा करने वाले गरीब आदि तरह-तरह के पात्र यहां मिल जाते हैं। इन रचनाओं के संवाद प्रभावोत्पादक, पात्रानुकूल तथा वकालत तंत्र, न्यायतंत्र की वास्तविकता को प्रस्तुत करने में पूर्ण समर्थ है।

उद्देश्य की दृष्टि से रचनाएं समाज की वास्तविकता को व्यक्त करती है। ज्यादातर रचनाएं न्यायतंत्र में व्यापत भ्रष्टता को व्यक्त करती है। यह भ्रष्टता चाहे वकीलों में हो, जजों में हो, अहलमद आदि में हो, सभी न्यायतंत्र को विकृत कर रहे हैं। फिर भी लोगों का विश्वास न्यायालयों पर है वे न्यायालय में यही उम्मीद लेकर जाते हैं कि उन्हें वहाँ न्याय अवश्य मिलेगा। क्योंकि अभी भी कुछ कर्तव्यपरायण न्यायमूर्ति, न्याय कर रहे हैं। परन्तु कोर्ट केसों की संख्या, सरकार का दबाव, उनके द्वारा भी उचित न्याय देने में प्रमुख बाधा बन रहा है। न्यायालयों में बढ़ती केस संख्या भी न्यायमूर्ति को न्याय देने में समस्या बन रही है साथ-साथ झूठे कोर्ट केस भी कानून को ठेंगा दिखाकर, कानून को कानून की कमी वाले दांव-पेंचों से मात दे देते हैं और झूठे गवाहों, झूठे साक्ष्यों में उलझकर, न्याय-प्रक्रिया में लगने वाली अवधि तथा उसकी धीमी प्रक्रिया के आगे ईमानदार न्यायमूर्ति भी संकट में पड़ जाते हैं फिर भी वे किसी न किसी प्रकार न्याय कर रहे हैं, यहीं उनकी महानता है तथा भारत में न्यायतंत्र के विश्वास का आधार भी।

हिन्दी साहित्य की कानून विषयक रचनाओं की भाषा विशेष ही है। अलग प्रकार की शब्दावली इन रचनाओं की अलग पहचान है। 'बिना पढ़े-सुने फैसला', 'यह कैसा न्याय', 'दलाल', 'कचहरी', 'राग दरबारी', 'दर्द-ए-दाखिला', जद्दोजहद', 'डिक्री', 'सम्मेलन', 'धर्म', 'बादशाह', 'भ्रष्टाचार', 'गद्दार', 'मुआवजा' आदि रचनाओं में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनमें से कुछ शब्द प्रमुख हैं-मुआयना, आरोप, कचहरी, डिक्री, न्याय का मंदिर, न्याय के धाम पर, कसूरवार, दलाल, मुवक्किल, मुकदमेबाज, एफीडेविड, डाकूमेंट, फौजदारी, दीवानी, नजरी नक्शा, पैमाइश, बार, गैर, कानूनी, कानून प्रेमियों, नोटिस, तामीला आदि बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन रचनाओं की शैली भी नवीन व अपनी स्वयं ही तरह की नई है व प्रभावपूर्ण हैं।

इस ग्रंथ में यह कैसा विकलांग न्याय, आरोप, दलाल, सलाम, न्यायिक प्रक्रिया, कचहरी, बिना पढ़े-सुने किया न्याय, बादशाह, भ्रष्टाचार, जेबकतरा, झूठ, कसम, दिवस, मुआयना, गद्दार, वकालत, होला, धर्म, डिक्री, साक्षात्कार, सम्मेलन, न्याय के धाम पर, मंत्री-वाणी बनाम जनवाणी, दो शहनशाह, अनुशासन का अफसाना, हठ की ताल, भिक्षावृत्ति और कानून, एक सुन्दर संकल्प, वकालती रोजे, त्याग-पत्र के तेवर, सुभान तेरी कुदरत, लूट अदालत, कानून की नाक। इस ग्रंथ को दो भागों में प्रकाशित किया गया है। इस संकलन में दो उपन्यासों 'दर्द-ए-दाखिला' व 'जद्दोजहद' को भी प्रस्तुत किया है। 'जद्दोजहद' को भाग-दो में स्थान दिया है।

पवन चैधरी 'मनमौजी' कानून की दुनिया के यथार्थ को पाठकों के सामने परत-दर-परत रखते हैं। यह उनकी रचनाओं की ताकत ही है जो पाठक उन्हें पसन्द करते हैं। 'कचहरी' नामक रचना में उन्होंने लिखा है-''कचहरी जीवन के यथार्थ की बात करती है। 'एक जादूगर की दृष्टि में' कचहरी एक जादूघर है। इस जादूघर में एक जादूगर असली कानून को नकली और नकली कानून को असली बना सकता है। कागज पर बनाये गये कानून के सुनहरे कबूतर को देखते ही देखते सफेद कौवे का रूप दिया जा सकता है। केवल कानून के 'कमाल' द्वारा।''3

अतः कचहरी में न्याय तो कभी-कभी ही हो पाता है। इसके कारण अनेक हैं कभी गवाह का बदल जाना, झूठ बोलना, कभी-कभी वकील के द्वारा जज को वर्गला देना, कभी जज का बिक जाना, राजनीतिक आदि अन्य कारणों से उचित निर्णय न देना।

'ऐ कैसा विकलांग न्याय', 'न्यायिक प्रक्रिया', 'बिना पढ़े-सुने फैसला' नामक कहानियों में न्यायिक प्रक्रिया पर व्यंग्य किया गया है कि किस प्रकार विकलांगों को भी कानून के ठेकेदार कानूनी दाव-पेंचों में फंसाकर न्याय नहीं प्राप्त करने देते। लेखक ने इनके दर्द का यथार्थ निरूपण इन कहानियों में किया है।

भारत में कुछ वकील जो ईमानदार हैं वे भी इस तंत्र में परेशान हैं उनकी सुनता कौन है। लेखक ने इसीलिए 'सेहरा' नामक रचना में लिखा है कि ईमानदार वकील भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इस व्यवस्था में रचनाकार आगे लिखता है-''यदि तोते को कविता पढ़ना और बोलना सिखा दिया जाय तो वह आदमी बन सकता है। मगर कबूतर को कानून पढ़ा-लिखा दिया जाय तो भी आदमी बनना एकदम कठिन है।''

इसी प्रकार लेखक ने 'बादशाह' रचना में लिखा है-''एक एडवोकेट की जिन्दगी के दो किनारे होते हैं। एक किनारे पर सूरज की गर्म किरणें की तानाशाह सरकार राज्य करती है और दूसरे किनारे पर चाँद के प्रजातंत्र की ठण्डी किरणें।''4

इस ग्रंथ में लेखक कानूनी व्यवस्था विषयक हिन्दी साहित्य की रचनाओं को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। कारण मैं बचपन से ग्रामीण जीवन में व्याप्त कानूनी तंत्र संबंधी यथार्थ कहानियों को सुनता आया था कि आज पेषी है, जिला पर जाना है। पेशी लेने के बाद जब ग्रामीण जन वापस आते थे तो बताते थे कि अगली तारीख दे दी गई। कोर्ट में अर्दली/पेशकार ने बीस रुपये लिऐ, जो वह हर तारीख पर लेता है। वकील साहब ने 50 रुपये लिए; जो वे भी हर तारीख पर लेते हैं। इसके अलावा लोग बताते थे कि नजरी नक्शा निकलवाने के लिए 200 रुपये वकील साहब ने लिए। कुछ कहते हैं कि मुआयना कल पुनः करेंगे। कल वकील साहब क्या कल फिर आना पड़ेगा।...अतः पुनः जाना है। कल फिर वकील को मुआयना के लिए फीस के 100 रुपये देने पड़ेंगे। अन्य बताते हैं कि खतौनी निकलवाने के 50 रुपये देने हैं। तभी खतौनी मिलेगी। इस प्रकार पढ़े-लिखे लोगों के भी कचहरी में चूना लगता है।5

शपथ-पत्र बनवाने के लिए 10 रुपये के शपथ-पत्र के, 50 रुपये तथा यदि नोटरी करानी है तो 70 रुपये लगते हैं। कोई भी प्रपत्र बनवाने जैसे-जन्म प्रमाण पत्र में लगाने का प्रपत्र, कुछ खो गया उसका प्रपत्र, सभी में 100 रुपये से कम नहीं लगता। इस प्रकार अन्य समस्याएं भी कचहरी में व्याप्त हैं। जैसे-वकील मुकदमें की फीस 20,000 बताते हैं व कोश के अन्दर 8000 रुपये ही जमा करते हैं शेष रख लेते हैं। इस प्रकार की समस्याओं का निरूपण संवेदनात्मक रूप से साहित्य में होता रहा है।

हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यास 'राग दरबारी' में श्रीलाल शुक्ल ने इसी न्यायिक भ्रष्टता को प्रस्तुत किया है। उपन्यास में एक पात्र लंगड़ा जो एक सत्यापित प्रतिलिपि लेने के लिए लगातार कचहरी का चक्कर लगाता रहा।6

हिन्दी साहित्य में कहानियों के अलावा उपन्यासों में भी कानूनी यथार्थ पर व्यंग्य किया गया है। श्रीलाल शुक्ल कृत 'राग दरबारी' तथा डॉ ओम मिश्र कृत 'जद्दोजहद' इसी प्रकार के उपन्यास है। 'राग दरबारी' उपन्यास स्वातंत्रयोत्तर भारतीय न्याय-व्यवस्था के यथार्थ का एक जीवन्त दस्तावेज है। न्याय की दुस्तरता पर उपन्यासकार ने एक टिप्पणी इस प्रकार की है, 'पुनर्जन्म के सिद्धान्त की ईजाद दीवानी की अदालतों में हुई है ताकि वादी और प्रतिवादी इस अफसोस को लेकर न मरे कि उनका मुकदमा पड़ा रहा। इसके सहारे वे चैन से मर सकते हैं कि मुकदमें का फैसला सुनने के लिए अभी अगला जन्म तो पड़ा ही है।'7 उपन्यास के अत्यंत निरीह किन्तु दृढ़ निश्चयी पात्र लंगड़ ने लगभग सात वर्ष पहले दीवानी का एक मुकदमा दायर किया था। मुकदमें के लिए एक पुराने फैसले की नकल चाहिए थी, जिसके लिए तहसील में दरख्वास्त दी थी। नकल बाबू को पाँच हजार रुपये रिश्वत न देकर वह धर्म की लड़ाई से नकल लेने में जीवन पर्यन्त जूझता रहा। उपन्यासकार लंगड़ को इतने रूपों, इतने संदर्भो में इतनी बार, इसके दयनीय रूप में प्रस्तुत करना है कि वह पाठक की सर्वाधिक सहानुभूति प्राप्त कर लेता है। वस्तुतः वह कचहरी के दरवाजे पर टँगा हुआ एक भयानक पोस्टर बन जाता है, जो चीख-चीख पर इस तथ्य की घोषणा करता है कि आज सर्वसाधारण आदमी लंगड़ बना न्यायालयों के लगातार बढ़ते हुए लूट-चक्र से आक्रान्त होकर त्राहि-त्राहि कर रहा है।8

स्वातंत्रयोत्तर न्याय-व्यवस्था के यथार्थ को उद्घाटित करने वाला दूसरा उदाहरण है-'न्याय पंचायत भीखम खेड़ा।' यहाँ अपने बेटे छोटे पहलवान द्वारा पीटे जाने पर कुसहर प्रसाद ने मुकदमा किया है। दो पेशियों में पंचों की अनुपस्थिति के कारण मुकदमें पर कोई कार्रवाई नहीं हो पायी। तीसरी पेशी पर जो कार्रवाई हुई, उसमें पंच, सरपंच की नासमझी और छोटे पहलवान की जिरह का स्तर पंचायत अदालतों की हास्यापद स्थिति को पूरी तरह उजागर करता है। सरपंच द्वारा अपने बाप कुसहर प्रसाद पर की गयी अपमानजनक टिप्पणी से क्रुद्ध छोटे पहलवान आग बबूला होकर सरपंच से कह देता है, 'ऐ चिमिरखा दास, चाँय-चाँय बंद करो। एक पड़ाक से कंटाप (थप्पड़) पड़ेगा तो यह मिसिल-विसिल लिए जमीन में घुस जाओंगे। दो घण्टे से सुन रहा हूँ हमारे बाप को घुमा-फिराकर हरामी बता रहे हो। हमारे बाप हरामी हैं तो तुम्हारे बाप क्या है?' यह कथन ग्रामीण न्याय-पंचायत के स्तर और यथार्थ को पूरी तरह उजागर करता है।9

स्वातंत्रयोत्तर भारतीय न्याय व्यवस्था का तीसरा उदाहरण है, गयादीन बनाम जोगनाथ का मुकदमा। अदालत शहर की है, जिसकी सुनवाई ऑनरेरी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है। थानेदार की फर्जी कार्रवाई, मुकदमें के झूठे गवाह, पुलिस के झूठे मुखबिर के सामने पब्लिक प्रासीक्यूटर और ऑनरेरी मजिस्टेªट असहाय सिद्ध होते हैं। इसी तरह का एक चैथा उदाहरण भी है, जिसमंे छंगामल इण्टर कॉलेज के प्रिसिंपल ने अपने विरोधी अध्यापकों पर 107 का मुकदमा दायर किया है। इसकी कार्रवाई अदालत में तो नहीं दिखायी गयी है, केवल सूचना के माध्यम से पाठकों को दी गयी है। मजिस्टेªट के संबंध में टिप्पणी करते हुए उपन्यासकार ने लिखा है, 'इजलास जोश में भी। बचपन में अध्यापकों ने उसे हमेशा निम्नकोटि के विद्यार्थियों में शुमार किया था और उसे आज इन अध्यापकों को निम्नकोटि का आदमी सिद्ध करने का मौका मिल गया था।' इसलिए सारे तर्क-वितर्क और सबूत को दरकिनार कर हर बार उसका फैसला होता था कि, अध्यापकों को शर्म आनी चाहिए।'10 यह तो कुछ मुकदमों की बात हुई किन्तु मुकदमेंबाजी ग्रामीण क्षेत्रों में इतने जोर-शोर पर है कि पेशेवर गवाहों का एक समूह तैयार हो गया है। पं. राधेलाल की जीविका का एकमात्र साधन झूठी गवाही हो गयी है। कभी न उखड़ने वाले इस गवाह के कौशल पर टिप्पणी करते हुए उपन्यासकार ने लिखा है, 'जिस तरह कोई भी जज अपने सामने के किसी भी मुकदमे में फैसला दे सकता है, कोई भी वकील किसी भी मुकदमे में वकालत कर सकता है, वैसे ही पं. राधेलाल ने अपनी शिष्य परंपरा भी कायम कर दी थी। ये सारे तथ्य मात्र शिवपाल गंज ही नहीं वरन् समूचे देश की न्याय व्यवस्था के यथार्थ को अच्छी तरह उद्घाटित करते हैं। इसी प्रकार भारत में लगभग प्रत्येक आदमी किसी न किसी परिस्थिति में कानून के भ्रष्ट तंत्र में फंस ही जाता है।11

इसके बाद वह इस भ्रष्ट तंत्र से निकलने के लिए कोशिस करता है। कानून के कर्णधारों, जजों पर उसे विश्वास होता है परन्तु कभी-कभी वह वकीलों द्वारा, किन्ही अन्य कारणों से न्याय प्राप्ति से दूर रह जाता है। इस बीच वह कई स्थानों पर लूटा भी जाता है कभी वकील द्वारा, कभी अर्दली द्वारा कभी अलहमद, दलालों के द्वारा इससे वह टूट जाता है तथा न्याय के मंदिर से उसका विश्वास उठ जाता है।

'जद्दोजहद' में लेखक ने दिव्यांग नायक के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया के यथार्थ पर व्यंग्य को प्रस्तुत किया है। किस प्रकार न्यायालयों में सरकारी संस्थानों के अधिकारी गण कानून को कानून के ही दाव-पेंच में फंसाकर मात देते है। इसका निरूपण लेखक ने परत-दर-परत किया है।12

इस प्रकार हिन्दी कथा-साहित्य में मूलतः श्रीलाल शुक्ल कृत 'रागदरबारी' तथा पवन मनमौजी कृत कहानी संग्रह 'कचहरी' 'जद्दोजहद' उपन्यास इसके अलावा 'दर्द-ए-दाखिला' महत्वपूर्ण उपन्यास व कहानियां हैं जिनमें कानूनी यथार्थ का चित्रण है।

संदर्भ सूची

क्चहरी, पवन मनमौजी, पृष्ठ-11
वही, पृष्ठ-12
वही, पृष्ठ-20
बादशाह, पृष्ठ-21
वही, पृष्ठ-25
रागदरबारी, श्रीलाल शुक्ल, पृष्ठ-15
वही, पृष्ठ-18
वही, पृष्ठ-20
वही, पृष्ठ-23
वही, पृष्ठ-24
वही, पृष्ठ-24
जद्दोजहद, पृष्ठ-31